

उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा श्री बेनी प्रसाद
वर्मा के रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु राज्य सभा का उप निर्वाचन

संक्षिप्त विवरण

1. उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा श्री बेनी प्रसाद वर्मा के रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु राज्य सभा के उप निर्वाचन की लोकसूचना (प्ररूप-1) हिन्दी में दैनिक समाचार पत्र "दैनिक हिन्दुस्तान" तथा PUBLIC NOTICE (FORM-1) अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्र "THE TIMES OF INDIA, LUCKNOW" के दिनांक 06 अगस्त, 2020 के अंक में प्रकाशित करायी गयी।
2. दिनांक 13 अगस्त, 2020 को श्री जय प्रकाश द्वारा उक्त निर्वाचन हेतु दो सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया।
3. उक्त सभी नामांकन—पत्रों को निर्वाचन के संचालन नियम, 1961 के नियम 7 के अनुसार प्ररूप 3ख/FORM 3B में नामांकन दाखिल किये जाने की सूचना तैयार कराकर दाखिल करने वाली तिथि को ही नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिया गया तथा उसकी एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 को भेज दी गयी।
4. उक्त सभी नामांकन—पत्र, फार्म-26 तथा निर्वाचन आयोग द्वारा नाम—निर्देशन—पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा अपराधिक पृष्ठभूमि, सम्पदा, देनदारियों और शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी दाखिल किये जाने वाले शपथ—पत्र (प्ररूप-26) की छाया प्रतियां नामांकन—पत्र दाखिल करने वाली तिथि को ही जिला निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को तथा मीडिया को उपलब्ध कराया गया।
5. दिनांक 14 अगस्त, 2020 को पूर्वाहन् 11.00 बजे श्री जय प्रकाश द्वारा दाखिल किये गये नामांकन पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों की संवीक्षा आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक की उपस्थिति में की गई। संवीक्षा में श्री जय प्रकाश द्वारा दाखिल नामांकन पत्र वैध पाये गये।

6. संवीक्षा के उपरांत विधिमान्यतः नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की सूची निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 8 के अनुसार प्ररूप-4 (हिन्दी में) / FORM-4 (अंग्रेजी में) तैयार कराकर रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षरोपरान्त एक प्रति नोटिस बोर्ड पर तथा उसकी दो-दो प्रतिलिपि प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की गई।

7. दिनांक 17 अगस्त, 2020 को अपराह्न 03.00 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा उक्त निर्वाचन से अपना नाम वापस न लिये जाने के फलस्वरूप निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961 के नियम 10 (1) के अनुसार प्ररूप 7 ख (हिन्दी)(संलग्न) / FORM 7B (संलग्न) में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कराकर प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को प्रेषित की गई।

8. तदुपरान्त निर्वाचन का परिणाम प्ररूप 21 ख (हिन्दी) (संलग्न) / FORM 21 B (अंग्रेजी)(संलग्न) में तैयार कर कर रिटर्निंग आफिसर द्वारा घोषित किया गया।

उ० प्र० विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भ्री बेनी प्रसाद वर्मा के लिए समाज
की पूर्ति हेतु राज्यसभा उपनिर्वाचन

प्रस्तुत 2 ग

रजमध - 11.50 लक्ष्य

(नियम 4 देखिये)

नाम-निर्देशन-पत्र

राज्य सभा के लिये निर्वाचन



३१८१ नियम 12 अ० २०२०

लो. R10/021-445

13.8.20

2016 (अ०)

170161-411-

13.8.2020

01/08/2020

13.8.2020

①

Signature
13.08.2020

भाग-1

हम एतद्वारा राज्य सभा के निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नाम-निर्दिष्ट करते हैं :-

अभ्यर्थी का नाम जय प्रकाश पिता/माता/पत्नी का नाम श्री राम प्रताप

उसका डाक पता स० त० ६०५०० न० शिवपुरी कालोनी)

स० निजपुर घासा रामगढ़ ताल

गोदावरी पुर 273209

उसका नाम ३२२ गोदावरी पुर उत्तर अंडमान विधान सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक
नामांकन के भाग सं 3.5.8 में क्रम-संख्या 644 पर
प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्य हैं और हमारे नाम धारा 152 के अधीन
रखी गयी सूची में, जैसा कि नीचे उपरिश्ति किया गया है, प्रविष्ट है और उस नाम-निर्देशन के प्रतीक त्वरूप हम नीचे अपने
हस्ताक्षर करते हैं :-

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

| धारा 152 के अधीन रखी | | पूरा नाम | हस्ताक्षर | तारीख |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| क्रम-सं० | गई सूची में प्रविष्ट क्रम संख्यांक | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 135-शाहजहांपुर | मी सुरेश कुमार रवन्ना | 23/8/2020 (अ०) | 13.8.20 |
| 2 | 173-लखनऊ पुर्ण | मी अशुतोष टंडन "गोपनी" | 23/8/2020 (अ०) | 13.8.20 |
| 3 | 338-पश्चिम बंगाल | मी द्वय प्रताप शाही | 25/8/2020 (अ०) | 13.8.20 |
| 4 | 263-इलाहाबाद दफिना | मी नन्द जोपाल गुप्ता धन्दी | 25/8/2020 (अ०) | 13.8.20 |
| 5 | 330-पटरीना | मी द्वाप्री प्रदाद भोर्व | 25/8/2020 (अ०) | 13.8.20 |
| 6 | 288-कैसरगंज | मी मुकुट छिंदवारी वर्मा | 26/8/2020 (अ०) | 13.8.20 |
| 7 | 300-मनकापुर (अ०ज्ञा) | मी रमापति रात्री | 26/8/2020 (अ०) | 13.8.20 |
| 8 | 170-झरोजनीनगर | मी भूती द्वाती शिंदे | 26/8/2020 (अ०) | 13.8.20 |
| 9 | 175-लखनऊ कैटोनभै-टारी | मी दुरेश चन्द्र तिवारी | 26/8/2020 (अ०) | 13.8.20 |
| *10 | 366-जोगपुर | मी गिरीश चन्द्र यादव | 26/8/2020 (अ०) | 13.8.20 |

*प्रस्थापक विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों में से दस प्रतिशत या निर्वाचकागण के सदस्यों में से दस प्रतिशत या
संबंधित दस सदस्य, जो भी कम हों, होने चाहिये।

मैं, उपरिवर्णित अभ्यर्थी, इस नाम-निर्देशन के लिये अपनी अनुमति देता/देती हूं और मैं धोषणा करता/करती हूं कि :-

- (क) मैं भारत का नागरिक हूं और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित नहीं की है;
- (ख) मैंने 4/8 वर्ष की आयु पूरी कर ली है;
- (ग) मैं इस निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी दल द्वारा खड़ा किया गया हूं/खड़ी की गई हूं;
- (घ) मेरा नाम और मेरे (पिता/माता/पति का नाम) ऊपर हिन्दी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है, और
- (ङ) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं राज्य सभा में रिक्त स्थान भरने के लिये चुने जाने के हेतु अद्वितीय हूं और निरर्हित नहीं हूं।

मैं, यह भी धोषणा करता हूं कि इसके साथ-साथ होने वाले राज्य सभा के विद्यमान द्विवार्पिक निर्वाचन/उप निर्वाचनों में दो स्थानों के लिये किसी अभ्यर्थी के रूप में नाम-निर्दिष्ट नहीं किया गया हूं और न ही किया जाएगा।

तारीख ..13/08/2020.....

जापुलाइसी
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग-2

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

(1) क्या अभ्यर्थी को-

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-
 (क) उपधारा (1) के अधीन अपराध (अपराधों) के लिए; या
 (ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिये, सिद्धदोष ठहराया गया है; या
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है जिसके (जिनके) लिये उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।
यदि उत्तर “हाँ” में है तो, अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देना :
 (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक लागू नहीं
 (ii) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं जिला (जिले) लागू नहीं राज्य लागू नहीं
 (iii) सम्बद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण,
 जिसके (जिनके) लिये उसे सिद्धदोष ठहराया गया था लागू नहीं
 (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख (तारीखें) लागू नहीं
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था लागू नहीं
- (vi) अधिरोपित दण्ड [कारावासों की अवधि और/या (जुर्माने) की राशि उपराखित करें] लागू नहीं

✓
नहीं

- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) लागू नहीं
 (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किये गये थे; हाँ/
 नहीं
 (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की तारीख व विशिष्टियां लागू नहीं
 (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का/के नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल
 किये गये थे लागू नहीं
 (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लाप्ति हैं
 लागू नहीं

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो -

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) **लागू नहीं**

(ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति **लागू नहीं**

"(2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है ? (हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, धारित पद के बौरे **लागू नहीं**

(3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है ? (हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया है **लागू नहीं**

(4) क्या अभ्यर्थी किसी विदेशी देश के साथ राजनिष्ठा या अनुरक्षित के अधीन है ? (हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, बौरे **लागू नहीं**

(5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरर्हित किया गया है ?
✓

(हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, निरर्हित किये जाने की अवधि **लागू नहीं**

(6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिये पदच्युत
✓
किया गया है ? (हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, ऐसी पदच्युति की तारीख **लागू नहीं**

(7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यष्टि हैसियत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववान संविदा
(संविदाएं) रखता है जिसमें (जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी भाल के प्रवाय के लिये या उस सरकार द्वारा
किये संकर्म के निष्पादन के लिये शेयर रखता है ? (हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, तो कौन-सी सरकार के साथ है और अस्तित्ववान संविदा (ओं) के बौरे **लागू नहीं**

(8) क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी या निगम (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अधिकार्ता या प्रबंधक या सचिव है
जिसकी पूँजी में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार पर्चीस प्रतिशत से कम शेयर नहीं रखती है ? (हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, कौन-सी सरकार के साथ और उसके बौरे **लागू नहीं**

(9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरर्हित किया गया है ? (हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, निरर्हित की तारीख **लागू नहीं**

स्थान : **लारनरठ**

तारीख : **13/08/2020**

जागपुराणा साहनी
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग-3
(रिटर्निंग आफीसर द्वारा भरा जाये)

नाम-निर्देशन-पत्र की व्रत संख्या
 यह नाम-निर्देशन मुझे मेरे कार्यालय में (तारीख) को (वजे)
 *अम्बर्धा/प्रस्थापक (नाम) द्वारा परिदृश्य किया गया।

रिटर्निंग आफीसर

तारीख

टिप्पण :- जहाँ कहीं अनुकूल्य दिये गये हैं वहाँ लागू होने वाले शब्दों को काट दें।

भाग-4

नाम-निर्देशन-पत्र को प्रतिशृंखीत या प्रतिशेषित करने वाले रिटर्निंग आफीसर का विनिश्चय
 मैंने इस नाम-निर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है
 और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :
 तारीख

रिटर्निंग आफीसर

डॉ. प्र० विद्याननसभा निर्वाचन क्षेत्र से श्री बेनी प्रसाद बर्मा के रिक्त
स्थान की पूर्ति हेतु राज्य सभा उप निर्वाचन

प्रस्तुत 2 ग

(नियम 4 देखिये)

नाम-निर्देशन-पत्र

राज्य सभा के लिये निर्वाचन



डॉ. बेनी प्रसाद बर्मा 13.8.2020,
प्रस्तुत 2 ग
नाम-निर्देशन-पत्र¹
राज्य सभा के लिये निर्वाचन
13.8.2020
प्रस्तुत 2 ग
नाम-निर्देशन-पत्र²
राज्य सभा के लिये निर्वाचन
13.8.2020
प्रस्तुत 2 ग
नाम-निर्देशन-पत्र³
राज्य सभा के लिये निर्वाचन
13.8.2020
प्रस्तुत 2 ग
नाम-निर्देशन-पत्र⁴
राज्य सभा के लिये निर्वाचन
13.8.2020
प्रस्तुत 2 ग
नाम-निर्देशन-पत्र⁵
राज्य सभा के लिये निर्वाचन
13.8.2020
प्रस्तुत 2 ग
नाम-निर्देशन-पत्र⁶
राज्य सभा के लिये निर्वाचन
13.8.2020
प्रस्तुत 2 ग
नाम-निर्देशन-पत्र⁷
राज्य सभा के लिये निर्वाचन
13.8.2020
प्रस्तुत 2 ग
नाम-निर्देशन-पत्र⁸
राज्य सभा के लिये निर्वाचन
13.8.2020
प्रस्तुत 2 ग
नाम-निर्देशन-पत्र⁹
राज्य सभा के लिये निर्वाचन
13.8.2020
प्रस्तुत 2 ग
नाम-निर्देशन-पत्र¹⁰
राज्य सभा के लिये निर्वाचन
13.8.2020

दरमय 11.51 धूमल

②
अंक
13.08.2020

भाग-1

हम एतद्वारा राज्य सभा के निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी के स्प में निम्नलिखित को नाम-निर्दिष्ट करते हैं :-
अभ्यर्थी का नाम जनस प्रकाश पिता/माता/पति का नाम श्री नाम प्रताप
उसका डाक पता पर्याप्त : 60, (घोर शिव पुरी कालेवी)

मिजिपुर

ज्ञाना राजगढ़ ताल

गोरखपुर 273209

उसका नाम 3.2.2 गोरखपुर राजगढ़ प्रदेश विधान सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक
क्रम-संख्या 3.5.8 में क्रम-संख्या 644 पर
प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्य हैं और हमारे नाम धारा 152 के अधीन
रखी गयी सूची में, जैसा कि नीचे उपदर्शित किया गया है, प्रविष्ट है और उस नाम-निर्देशन के प्रतीक स्वरूप हम नीचे अपने
उत्ताक्षर करते हैं :-

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

धारा 152 के अधीन रखी

| क्रम-संख्या | गई सूची में प्रविष्ट क्रम संख्याएँ | पूरा नाम | हस्ताक्षर | तारीख |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 361-बीलिया लग्ज | श्री उमानंद स्वरूप शुक्ल | झानला, स्वरूप शुक्ल | 13.8.20 |
| 2 | 126- ऊंचला | श्री व्यासपाल सिंह | | 13.8.20 |
| 3 | 207- लिकानपाल | श्री अजीत सिंह पाल | | 13.8.20 |
| 4 | 138- निधासन | श्री शशांक वसा | Shashank | 13.8.20 |
| 5 | 236- पिलकुर | श्री चान्दो का पुजारा उपाध्याय | | 13.8.20 |
| 6 | 149- बिसवा | श्री महेन्द्र पुताप सिंह | महेन्द्र | 13.8.20 |
| 7 | 267- रामनगर | श्री शशद लुमाई उवलनी 31/6 लुमाई | शशद | 13.8.20 |
| 8 | 91- काटेहपुरीकुमा | -50 उदय अनन्त छिह्न | | 13.8.20 |
| 9 | 297- कटरा नगर | श्री वाजन छिह्न | वाजन | 13.8.20 |
| *10 | 172- लखनऊ उत्तर | ज० नीरज कौर | Niraj | 13.8.20 |

*प्रस्थापक विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों में से इस प्रतिशत वा निर्वाचकनाम के सदस्यों में से दस प्रतिशत या
संबंधित दस सदस्य, जो भी कम हों, होने चाहिये।

मैं, उपरिवर्णित अभ्यर्थी, इस नाम-निर्देशन के लिये अपनी अनुमति देता/देती हूँ और मैं घोषणा करता/करती हूँ कि :-

- (क) मैं भारत का नागरिक हूँ और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित नहीं की है;
- (ख) मैंने 4.8 वर्ष की आयु पूरी कर ली है;
- (ग) मैं इस निर्वाचन 'मेभारतीयनवताप्रार्थी' द्वारा खड़ा किया गया हूँ/खड़ी की मई हूँ;
- (घ) मेरा नाम और मेरे (पिता/माता/पति का नाम) ऊपर टिकटी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है, और

(ङ) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं राज्य सभा में रिक्त स्थान भरने के लिये चुने जाने के हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित नहीं हूँ।

मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि इसके साथ-साथ होने वाले राज्य सभा के विद्यमान द्विवार्षिक निर्वाचन/उप निर्वाचनों में दो स्थानों के लिये किसी अभ्यर्थी के रूप में नाम-निर्दिष्ट नहीं किया गया हूँ और न ही किया जाऊँगा।

तारीख ... 13/08/2020

अभ्यर्थी का साक्षर

भाग-2

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

(1) क्या अभ्यर्थी को-

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-
 (क) उपधारा (1) के अधीन अपराध (अपराधों) के लिए; या
 (ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिये, सिद्धदोष ठहराया गया है; या
 - (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है जिसके (जिनके) लिये उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।
- यदि उत्तर "हाँ" में है तो, अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :
- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक लागू नहीं
 - (ii) पुलिस थाना (थाने) लोगू नहीं जिला (जिले) लोगू नहीं राज्य लागू नहीं
 - (iii) सम्बद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिये उसे सिद्धदोष ठहराया गया था लागू नहीं
 - (iv) दोपसिद्धि (दोपसिद्धियों) की तारीख (तारीखें) लागू नहीं
 - (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था लागू नहीं
 - (vi) अधिरोपित दण्ड [कारावासों की अवधि और/या (जुर्माने) की राशि उपलब्धित करें] लागू नहीं
 - (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) लागू नहीं
 - (viii) क्या उपरोक्त दोपसिद्धि (दोपसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किये गये थे, हाँ/नहीं लागू नहीं
 - (ix) फाइल की मई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की तारीख व विशिष्टियां लागू नहीं
 - (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का/के नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किये गये थे लागू नहीं
 - (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटाता हो गया है या वह/वे लम्बित हैं लागू नहीं

| | | | | |
|---|-----------------|--|----------------|----------------------|
| 5 | आश्रित-2-जनमेजय | कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आंवटित नहीं हुआ है। | लागू नहीं होता | (i) लागू नहीं होता |
| | | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | (ii) लागू नहीं होता |
| | | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | (iii) लागू नहीं होता |
| | | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | (iv) लागू नहीं होता |
| | | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | (v) लागू नहीं होता |
| 6 | आश्रित-3 | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | (i) लागू नहीं होता |
| | | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | (ii) लागू नहीं होता |
| | | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | (iii) लागू नहीं होता |
| | | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | (iv) लागू नहीं होता |
| | | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | (v) लागू नहीं होता |

टिप्पण : स्थायी खाता संख्या (पैन) धारक के लिये स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना आज्ञापक होगा और कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) ने होने की दशा में यह रूप से कथन करना चाहिये कि 'कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आंवटित नहीं हुआ है।'

5. लम्बित आपराधिक मामले

- (i) मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लम्बित नहीं है। (यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता होता है लिखें)

या

मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लम्बित है :— लागू नहीं होता होता है।

- (ii) यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक मामले लम्बित हैं तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे की सारणी में सभी लम्बित मामलों का व्यौरे दें।

सारणी

| | | | | |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| (क) | सम्बद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इतिला रिपोर्ट स० | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| (ख) | न्यायालय के नाम के साथ मामला सं० | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| (ग) | अन्तर्वलित सम्बद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराए (धारा की स० दें, अर्थात् भारतीय दण्ड ब्रह्मिणी आदि की धारा.....) | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| (घ) | अमुक्षाश को संक्षिप्त विवरण | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| | क्या आरोप विरचित किये गये हैं (हाँ या नहीं को उल्लेख करें) | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| | यूद्ध/उपरोक्त मद (ड.) के सामने उत्तर हा है, तो यह तारीख दे, जिसको आरोप विरचित किये गये थे | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| (छ) | क्या कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिये आवेदन फाइल किया गया है (हाँ या नहीं का उल्लेख करें) | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

अधिकारी द्वारा

भाग-3

(रिटर्निंग आफीसर द्वारा भरा जाये)

नाम-निर्देशन-पत्र की क्रम संख्या

यह नाम-निर्देशन मुझे मेरे कार्यालय में (तारीख) को (वजे)

*अध्यर्थी/प्रस्थापक (नाम) द्वारा परिदृष्ट किया गया।

तारीख

रिटर्निंग आफीसर

टिप्पण :—जहां कहीं अनुकूल्य दिये गये हैं वहां लागू होने वाले शब्दों को काट दें।

भाग-4

नाम-निर्देशन-पत्र को प्रतिशोधीत या प्रतिक्षेपित करने वाले रिटर्निंग आफीसर का विनिश्चय

मैंने इस नाम-निर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है
और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :

तारीख

रिटर्निंग आफीसर



भारतीय नौरज्याधिक

दस
रुपये

₹ 10

TEN
RUPEES

Rs.10




DIA NON JUDICIAL

Uttar Pradesh

प्ररूप-26

(नियम 4क देखिए)

Photo 13/06/07
Date 13/06/07



NOTARY
विधानसभा
उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

Virendra Singh
Adv/NOTARY
Regd. No. 317112000
HQ Iko, U.P.
India

राज्यसभा.....(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिर्डिंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नाम—निर्देशन—पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग—क

मैं, जय प्रकाश.....**पुत्र/पुत्री/पत्नी.....श्री रामप्रताप....आयु...48...वर्ष, जो....60 मिर्जापुर थाना—रामगढ़ताल, पोस्ट—न्यू शिवपुरी कालोनी, गोरखपुर...(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं:-

1. मैं भारतीय जनता पार्टी..(**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं। *VS NOTARY*
(**जो लागू न हो उसे काट दें)
2. मेरा नाम...जय प्रकाश (322 गोरखपुर शहर, उत्तर प्रदेश)...(निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं0....358.....के क्रम सं0.....644.....पर प्रविष्ट है। *[उपर्युक्त ज्ञाहा]*

3. मेरा / मेरे.....8765955025.....सम्पर्क दूरभाष संख्या / संख्याएँ है / हैं और...
exministerjpnishad1970@gmail.com....मेरा ई-मेल पता (यदि कोई हो) है तथा
मेरा / मेरे सोशल मीडिया खाता / खाते (यदि कोई हो) है / हैं

- (i) लागू नहीं होता.....
- (ii) लागू नहीं होता.....
- (iii)..... लागू नहीं होता.....

4. स्थाई खाता संख्या (पैन) और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथ्ति :

| क्र. सं | नाम | पी.ए.एन. (स्थाई खाता संख्या) | यह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है। | पिछले पांच वित्तीय वर्षों (31 मार्च को) के लिये आयकर विवरणी में दर्शित कुल आय (रुपये में) |
|---------|--|--|--|---|
| 1 | स्वयं-जय प्रकाश | ANHPS1504M | 2019-2020 | (i) 19,3580 |
| | | | 2018-2019 | (ii) 18,2540 |
| | | | 2017-2018 | (iii) 1,78,750 |
| | | | 2016-2017 | (iv) 2,90,700 |
| | | | 2015-2016 | (v) 2,70,800 |
| 2 | पति-मा पत्नी-मनोरमा जयप्रकाश साहनी | ARAPS5133P | 2019-2020 | (i) 38,750 <i>NOTA</i> |
| | | | 2018-2019 | (ii) <i>लागू नहीं</i> |
| | | | 2017-2018 | (iii) 68,750 |
| | | | 2016-2017 | (iv) 1,38,400 |
| | | | 2015-2016 | (v) 1,25,200 |
| 3 | हिन्दू ओविगक्त कुटुम्ब (यदि आधिकारी कर्ता या सहवायिक है) | | लागू नहीं होता | (i) लागू नहीं होता |
| | | | लागू नहीं होता | (ii) लागू नहीं होता |
| | | | लागू नहीं होता | (iii) लागू नहीं होता |
| | | | लागू नहीं होता | (iv) लागू नहीं होता |
| | | | लागू नहीं होता | (v) लागू नहीं होता |
| 4 | आश्रित-1-प्रसंजय | कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आंकित नहीं हुआ है। | लागू नहीं होता | (i) लागू नहीं होता |
| | | | लागू नहीं होता | (ii) लागू नहीं होता |
| | | | लागू नहीं होता | (iii) लागू नहीं होता |
| | | | लागू नहीं होता | (iv) लागू नहीं होता |
| | | | लागू नहीं होता | (v) लागू नहीं होता |

(गोप्यांश) ई-118/वी

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो -

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें)**लागू नहीं**

(ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति**लागू नहीं**

“(2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई ताम्र का पद धारण कर रहा है ? (हाँ/नहीं) ✓

-यदि हाँ, धारित पद के बौरे...**लागू नहीं**

(3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है ? (हाँ/नहीं) ✓

-यदि हाँ, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया है...**लागू नहीं**

(4) क्या अभ्यर्थी किसी विदेशी देश के साथ राजनिष्ठा या अनुषक्ति के अधीन है ? (हाँ/नहीं) ✓

-यदि हाँ, बौरे दीजिए...**लागू नहीं**

(5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरहित किया गया है ?

(हाँ/नहीं)

-यदि हाँ, निरहित किये जाने की अवधि...**लागू नहीं**

(6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार या अभावित के लिये पदच्युत किया गया है ? (हाँ/नहीं) ✓

-यदि हाँ, ऐसी पदच्युति की तारीख...**लागू नहीं**

(7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यष्टि हैसियत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्वान संविदा (संविदाएं) रखता है जिसमें (जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिये या उस सरकार द्वारा किये संकर्म के निष्पादन के लिये शेयर रखता है ? (हाँ/नहीं) ✓

-यदि हाँ, तो कौन-सी सरकार के साथ है और अस्तित्वान संविदा (ओं) के बौरे...**लागू नहीं**

(8) क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कम्पनी या निगम (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अभिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है जिसकी पूँजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पव्वीस प्रतिशत से कम शेयर नहीं रखती है ? (हाँ/नहीं) ✓

-यदि हाँ, कौन-सी सरकार के साथ और उसके बौरे...**लागू नहीं**

(9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरहित किया गया है ? (हाँ/नहीं) ✓

-यदि हाँ, निहरन की तारीख...**लागू नहीं**

स्थान : **लखनऊ**

तारीख : 13/08/2020

Guptha (अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

6. दोषसिद्धि के मामले,—

(i) मैं यह घोषणा करता / करती हूँ कि मुझे किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्धि नहीं किया गया है। (यदि अभ्यर्थी दोषसिद्धि नहीं किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता होता है लिखें)

या

(ii) मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिये दोषसिद्धि किया गया है :— लागू नहीं होता है

(यदि अभ्यर्थी दोषसिद्धि किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें, और नीचे दी गयी सारणी में ब्यौरे दें)

सारणी

| (क) | मामला संख्यांक | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
|------|--|----------------|----------------|----------------|
| (ख) | न्यायालय का नाम | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| (ग) | अन्तर्वलित अधिनियमों / संहिताओं की धाराएं (धारा की सं० दें, अर्थात् भारतीय दण्ड संहिता, आदि की धारा.....) | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| (घ) | अपराधों का संक्षिप्त विवरण, जिनके लिये दोषसिद्धि किया गया है | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| (ङ.) | दोषसिद्धि के आदेशों की तारीखें | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| (च) | अधिरोपित दण्ड | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| (छ.) | वेद्या दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई है (हाँ या नहीं का उल्लेख करें) | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| (ज.) | यदि उपरोक्त मद (छ.) का उत्तर हाँ है, तो अपील के ब्यौरे तथा वर्तमान प्रास्थिति दें | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

(6क) मैंने, ऊपर पैरा (5) और पैरा (6) में दिये गये अनुसार मेरे विरुद्ध सभी लम्बित आपराधिक मामलों की और दोषसिद्धि के सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल की पूरी और अद्यतन सूचना दी है।

[ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्हें यह मद लागू नहीं होती है, उपरोक्त पैरा 5(i) और पैरा 6(i) में की प्रविष्टियों को देखते हुये, स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है, लिखना चाहिये]

टिप्पण :-

1-ब्यौरे स्पष्ट रूप से और सुपाठ्य रूप से बड़े अक्षरों में प्रविष्ट किये जाने चाहिये।

2-प्रत्येक मद के सामने विभिन्न स्तम्भों के अधीन प्रत्येक मामले के लिये ब्यौरे पृथक रूप से दिये जाएं।

3-ब्यौरे विलोम कालानुक्रम में दिये जाने चाहिए, अर्थात् नवीनतम मामलों को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिये तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।

4-यदि अपेक्षित हो तो पृथक शीट जोड़ी जा सकती है।

5-अभ्यर्थी 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं०-536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी सूचनाएं देने का उत्तरदायी होगा।

अधिकारी/Notary

339/43, Pravesh Colony

संस्कृत नगर, Lucknow, U.P.

नमूदः ३१/१०८/२०२०

मुक्ति का दिन: ३१/१०८/२०२०</p

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

क - जंगम आस्तियों के ब्यौरे :-

टिप्पण -1- संयुक्त रवामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण -2- जमा / विनिधान की दशा में कम से 0, रकम, जमा की तारीख, रक्कीम, बैंक / संरक्षा का नाम और शाखा राहित ब्यौरे दिये जाने हैं।


टिप्पण -3- सूचीबद्ध कम्पनियों के सम्बन्ध में बंधपत्रों / शेयर डिवेचरों का मूल्य स्टाक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण -4- "आश्रित" से अभ्यर्थी के माता-पिता, पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी और अभ्यर्थी से सम्बंधित क्रोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह रक्त द्वारा हो या विवाह द्वारा, अभिप्रेत है (है), जिसके आय के पृथक साधन नहीं हैं और जो अपने जीवनयापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित हैं।

टिप्पण -5- रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के सम्बन्ध में पृथकतया दिए जाने हैं।

टिप्पण -6- ब्यौरे में अपतट आस्तियों का रवामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिये।

स्पष्टीकरण :- इस टिप्पण के प्रयोजन के लिए "अपतट आस्तियों" पद से विदेशी बैंकों और किसी अन्य विदेशी निकाय या संस्था में सभी जमा राशियों या विनिधानों के ब्यौरे और विदेशों में सभी आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे अभिप्रेत हैं;



| क्र० सं० | विवरण | रक्म | पति या पत्नी | हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 |
|----------|--|--|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| (i) | हाथ में नकदी | 1,00000 | 50,000 | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| (ii) | बैंक खातों में जमा के ब्यौरे, (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम | 1-सिंडीकेट बैंक, खाता, संख्या-54783070000985 रु०-35,769/- 2-ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स (OBC), खाता संख्या-11202110020950 रु०-10,500/- 3-इलाहाबाद बैंक, खाता संख्या-50099219118 रु०-5,000/- 4-सिंडीकेट बैंक, खाता संख्या-54783070000778 रु०-4,000/- 5-ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स, खाता संख्या-11201010009440 रु०-20,000/- | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | |
| (iii) | कम्पनियों/प्रारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों/डिवेचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

(गोप्याला का साक्षी)

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| (v) | राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में बीमा विनिधन के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कम्पनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम | जीवन बीमा—6,00,000/- | जीवन बीमा—10,00,000/- | लागू नहीं होता | जीवन बीमा—2,00,000/- | जीवन बीमा—2,00,000/- | लागू नहीं होता |
| (vi) | किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कम्पनी न्यास आदि को दिये गये वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| (vii) | मोटररायान वाहन/वायुयान/याच/पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम) | Car-UP53 BU7707 Model-2015 मूल्य-24,00,000/- बैंक ऋण-20,00,000/- | Car-MH43 AJ7707 Model-2011 मूल्य-17,83,632/- | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| (viii) | जेवरात, बुलियन, और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे) | गोल्ड-150 ग्राम, वर्तमान कीमत-7,20,000 | गोल्ड-200 ग्राम, वर्तमान कीमत-9,60,000 | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| (ix) | कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

ख - स्थावर आस्तियों का व्यौरे:-

टिप्पणी १— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण

दिया जाना है।

टिप्पणी-२ प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेन्ट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

टिप्पण -3- व्यौरों में अपतट आरितियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

| क्रम संख्या | विवरण | स्वयं | पति या पत्नी | हिन्दू अधिभक्त कुटुम्ब | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 |
|-------------|---|----------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| १ | कृषि भूमि का अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्या (संख्या १३५२३४७) | लागू नहीं होता | गाठा संख्या-1247 | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| २ | क्षेत्र (एकड़े में कुल माप) (क्षेत्रफल) | लागू नहीं होता | 0.251 हेए | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| ३ | क्या विरीसत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं) | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |

Guymard 2-1134

| | | | | | | | |
|-------|--|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख | लागू नहीं होता | 31-03-2015 | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में) | लागू नहीं होता | 8,50,000/- | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| | विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| | अनुमानित बाजार मूल्य NOTARIAL CERTIFICATE | लागू नहीं होता | 15,00,000/- | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| (ii) | गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवरिथितिया) सर्वेक्षण संख्यां (संख्याएं) | भूखण्ड संख्या-1/749 | पुस्तक संख्या-डी 1875 पृष्ठ संख्या-353 | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| | क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप) | 288 वर्ग मी० | 1686.40 वर्ग मी० | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| | वधा विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं) | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| | स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख | 26 जुलाई 2014 | 18 मार्च 2013 | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में) | 51,36,000/- | 37,00,000/- | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| | विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| | अनुमानित बाजार मूल्य NOTARIAL CERTIFICATE | 65,00,000/- | 37,00,000/- | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| (iii) | वाणिज्यिक अवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवरिथितिया) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं) GATE | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| | क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप) | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

जन्मानुष्टि २१४८

| | | | | | | | |
|------|--|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| | क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं) | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| | स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में) | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| | विकास सन्निर्माण आदि के माध्यम से सम्पत्ति पर कोई विनिधान | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| | अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| (IV) | आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएँ) | न्यू अलखनन्दा हांको. सेक्टर-14, सी-3, एस-14, वासी नवी मुम्बई | मौजा राघोपुर चौरी-चौरा गोरखपुर | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| | क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) | 48.8 मी० | रकवा 460.68 वर्ग मी० | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| | निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) | 2100 वर्ग फु० | 4959 वर्ग फु० | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| | क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हाँ या नहीं) | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| | स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख | 30-11-2005 | 26-07-2015 | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| | क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में) | 15,00,000/- | 10,50,000/- | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| | विकास सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पुरे कोई विनिधान | नहीं | नहीं | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

339/41, Stevens Court
Kandarpia Lucknow
Kashmir 217001
Kashmir 217001

ग्रामपाला स्नाइफ़री

| | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | अनुमानित बाजार मूल्य NOTARY | 1,00,00,000/- | 20,00,000/- | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| (V) | अन्य (जैसे कि सम्पत्ति में, हित) | लागू नहीं होता |
| (VI) | पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल बाजार मूल्य | 1,65,00,000/- | 72,00,000/- | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पणी: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समक्ष रकम के ब्यौरों का अलग-अलग विवरण दें)

| क्रो सं० | विवरण | स्वयं | पति या पत्नी | हिन्दू अविभक्त कुटम्ब | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 |
|----------|---|---|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| (i) | बैंक / वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति | 1-इलाहाबाद बैंक-कार लोन-रु०-5,00,000 2-इलाहाबाद बैंक-मार्गेज लोन-रु०-37,74,877 3-ओरियन्टल ऑफ कामर्स, शाखा-नवी मुम्बई लोन रु-29,46,378/- | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| | पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों निकाय, को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण का प्रकृति | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| | कोई अन्य दायित्व नहीं | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| | दायित्वों का कुल योग | 72,21,256/- | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

Chintamani Jaiswal

| (ii) | <p>सरकारी शोध्य :-</p> <p>सरकारी आवास से जल्दी होता है विभागों का शोध्य</p> | <p>क्र. क्या अभिसाक्षी वर्तमान निवाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले दस वर्ष के दौरान किसी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये आवास के अधिभोग में हैं?</p> <p>ख. यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हाँ है तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करें, अर्थात् :-</p> <p>(i) सरकारी आवास का पता : लागू नहीं होता</p> <p>(ii) उपरोक्त सरकारी आवास के सम्बन्ध में, निम्नलिखित के मद्दे कोई शोध्य सदैय नहीं है :-</p> <p>(क) भाटक; - लागू नहीं होता</p> <p>(ख) विद्युत प्रभार; - लागू नहीं होता</p> <p>(ग) जल प्रभार; और . लागू नहीं होता</p> <p>(घ) (तारीख) को टेलीफोन प्रभार . लागू नहीं होता</p> <p>[तारीख उस मास से, जिसमें निवाचन अधिसूचित किया जाता है, पूर्व तीसरे मास की अन्तिम तारीख या उसके पश्चात् की कोई तारीख होनी चाहिये]</p> <p>टिप्पणि :- उपरोक्त सरकारी आवास के लिये भाटक, विद्युत प्रभार, जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार की बाबत सम्बन्धित अभिकरणों का "बेबाकी प्रमाण पत्र" प्रस्तुत किया जाना चाहिये।</p> | हाँ / नहीं (कृपया उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगायें) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|---|----------------|------------------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (iii) | <p>सरकारी परिवहन से सम्बन्धित विभाग को शोध्य (जिसके अन्तर्गत बायुयान और हेलीकॉप्टर भी है)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTARY | <p>(IV) ऑफिकल शोध्य</p> <p>NOTARY 3/1/2023</p> <p>(V) इंडियर स्टेट शोध्य</p> <p>NOTARY 3/1/2023</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>रवयं</th><th>पति / पत्नी</th><th>हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब</th><th>आश्रित-1</th><th>आश्रित-2</th><th>आश्रित-3</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>लागू नहीं होता</td><td>लागू नहीं होता</td><td>लागू नहीं होता</td><td>लागू नहीं होता</td><td>लागू नहीं होता</td><td>लागू नहीं होता</td></tr> <tr> <td>लागू नहीं होता</td><td>लागू नहीं होता</td><td>लागू नहीं होता</td><td>लागू नहीं होता</td><td>लागू नहीं होता</td><td>लागू नहीं होता</td></tr> </tbody> </table> | रवयं | पति / पत्नी | हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 | लागू नहीं होता |
| रवयं | पति / पत्नी | हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | | | | | | | | | | | | | | | |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (VI) | <p>नगर पालिका / सम्पत्ति कर शोध्य</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>रवयं</th><th>पति / पत्नी</th><th>हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब</th><th>आश्रित-1</th><th>आश्रित-2</th><th>आश्रित-3</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>लागू नहीं होता</td><td>लागू नहीं होता</td><td>लागू नहीं होता</td><td>लागू नहीं होता</td><td>लागू नहीं होता</td><td>लागू नहीं होता</td></tr> </tbody> </table> | रवयं | पति / पत्नी | हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 | लागू नहीं होता | | | | | | |
| रवयं | पति / पत्नी | हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | | | | | | | | | | | | | | | |
| (vii) | <p>कोई अन्य शोध्य</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>रवयं</th><th>पति / पत्नी</th><th>हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब</th><th>आश्रित-1</th><th>आश्रित-2</th><th>आश्रित-3</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>लागू नहीं होता</td><td>लागू नहीं होता</td><td>लागू नहीं होता</td><td>लागू नहीं होता</td><td>लागू नहीं होता</td><td>लागू नहीं होता</td></tr> </tbody> </table> | रवयं | पति / पत्नी | हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 | लागू नहीं होता | | | | | | |
| रवयं | पति / पत्नी | हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | | | | | | | | | | | | | | | |
| (viii) | <p>सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>रवयं</th><th>पति / पत्नी</th><th>हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब</th><th>आश्रित-1</th><th>आश्रित-2</th><th>आश्रित-3</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>लागू नहीं होता</td><td>लागू नहीं होता</td><td>लागू नहीं होता</td><td>लागू नहीं होता</td><td>लागू नहीं होता</td><td>लागू नहीं होता</td></tr> </tbody> </table> | रवयं | पति / पत्नी | हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 | लागू नहीं होता | | | | | | |
| रवयं | पति / पत्नी | हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | | | | | | | | | | | | | | | |
| (ix) | <p>क्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त है, यदि ऐसा है तो उसमें अन्तर्वलित रकम का और प्राधिकारी का, जिसके सम्बन्ध यह लम्बित है, उल्लेख करें।</p> <p>3/1/2023 Lucknow</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>रवयं</th><th>पति / पत्नी</th><th>हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब</th><th>आश्रित-1</th><th>आश्रित-2</th><th>आश्रित-3</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>लागू नहीं होता</td><td>लागू नहीं होता</td><td>लागू नहीं होता</td><td>लागू नहीं होता</td><td>लागू नहीं होता</td><td>लागू नहीं होता</td></tr> </tbody> </table> | रवयं | पति / पत्नी | हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 | लागू नहीं होता | | | | | | |
| रवयं | पति / पत्नी | हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | | | | | | | | | | | | | | | |

गोपनीय साहू

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे:-

(क) स्वयं—.....राजनीति.....

(ख) पति या पत्नी—.....गृहणी.....

(9क) आय के स्रोत (स्रोतों के ब्यौरे):-

(क) स्वयं—.....पेशन (पूर्व विधायक).....

(ख) पति या पत्नी—.....लागू नहीं होता

(ग) आश्रितों के आय के स्रोत, यदि कोई होंलागू नहीं होता.....

(9ख) समुचित सरकार और किसी पब्लिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाएं -

(क) अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे—.....लागू नहीं होता

(ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे—.....लागू नहीं होता

(ग) आश्रितों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरेलागू नहीं होता

(घ) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबद्ध हैं, द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे.....लागू नहीं होता

(ङ.) भागीदारी फर्मों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार है.....लागू नहीं होता.....

(च) प्राइवेट कम्पनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रितों हिस्सा है.....लागू नहीं होता !

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है:-

बी.ए. स्नातक, बी.आर.डी.पी.जी. कालेज, देवरिया, सम्बद्ध दीन दयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर वर्ष 1998.....(प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रस्तुत करते हुए उच्चतम
विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/
विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग - ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिये गये ब्यौरो का सारांश :

| | | |
|----|--|---|
| 1. | अभ्यर्थी का नाम | श्री जय प्रकाश |
| 2. | डाक का पूरा पता | म0न0-60, मिर्जापुर, थाना, रामगढ़ताल, पोर्ट-न्यू शिवपुरी कालोनी, गोरखपुर, उ0प्र0 |
| 3. | निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य | 322, गोरखपुर शहर, उ0प्र0 |
| 4. | उसे राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'निर्दलीय' लिखें) | भारतीय जनता पार्टी |
| 5. | लाभित आपराधिक मामलों की कुल संख्या | लागू नहीं होता |
| 6. | ऐसे 'मामलों' की कुल संख्या जिनमें दोषसिद्ध ठहराया गया है। | लागू नहीं होता |

339/41, Triveni G.
Nanabasta Lucknow
Date 31/12/2020


जयप्रकाश भाटा

| 7. | | स्थायी लेखा सं (ऐन) | वह वर्ष जिसके लिए अन्तिम आयकर विवरणी फाइल की गई है | कुल दर्शित आय |
|----|----------------------------|------------------------|---|----------------|
| | (क) अभ्यर्थी | ANHPS1504M | 2019-2020 | 19,35,80 |
| | (ख) पति या पत्नी | ARAPS5133P | 2019-2020 | 38,750 |
| | (ग) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| | (घ) आश्रित | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

8 आस्तियों और दायित्वों (अपतट आस्तियों सहित) के रूपयों में व्यौरे -

| | विवरण | स्वयं | पति या पत्नी | हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब | आश्रित-1 | आश्रित-2 | आश्रित-3 |
|-----|--|---|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| क | जंगम आस्तियां (कुल मूल्य) | 38,92,769/- | 38,04,132/- | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| ख | स्थावर आस्तियां | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| i | स्वार्जित स्थावर सम्पत्ति की क्रय कीमत | 66,36,000/- | 46,55,000/- | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| ii | क्रय के पश्चात् स्थावर सम्पत्ति की विकास/सन्निर्माण लागत (यदि लागू हो) | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| iii | अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत- | 1,65,00,000/- | 72,00,000 | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| iv | (क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य) | (क) 2,03,92,769/- (ख) लागू नहीं होता | (क) 1,10,04,132/- (ख) लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

गणपति बनानी



15/10/2018

Vinod Kumar
Adv. Notary
No. 3171500
Dated: 15/10/2018
Naubasta
Lucknow
India

| | | | | | | | |
|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 9 | दायित्व | | | | | | |
| (i) | सरकारी शोध्य (कुल) | लागू नहीं होता |
| (ii) | बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल) | 72,21,255/- | लागू नहीं होता |
| 10 | ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं | लागू नहीं होता |
| (i) | सरकारी शोध्य (कुल) | लागू नहीं होता |
| (ii) | बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल) | 72,21,255/- | लागू नहीं होता |

उच्चतम शैक्षिक अर्हता : बी०ए०, डिग्री पाठ्यक्रम, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,

गोरखपुर वर्ष 1998

(प्रमाण-पत्र /डिलोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय

शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का द्योरा दे।)

सत्यापन

मैं ऊपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथ-पत्र की शिष्य-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग निर्णय नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्ध का मामला या लम्बित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्ध का मामला या लम्बित मामला नहीं है;

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख ३०/१२/२०२० को सत्यापित किया गया।

जग्नुप्रकाश नाथ
अभिसाक्षी

टिप्पण : 1-शपथ पत्र नामांकन फाइल करने के अन्तिम दिन को अपराह्न 3:00 बजे तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2-शपथ पत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3-शपथ पत्र नामांकन को भरा जाना चाहिए और कोई स्तम्भ खाली न छोड़ यदि किसी मद के सम्बन्ध में नामांकन लुकाकर्दे के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथारिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित रूप से किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4-शपथ पत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साथ-साथ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण : 5-शपथ पत्र का प्रत्येक पृष्ठ अभिसाक्षी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये। इसके अतिरिक्त,

शपथ-पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ऐसे नोटरी या शपथ आयुक्त या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष शपथ-पत्र सत्यापित किया जाता है, की स्टाम्प होनी चाहिये।

Nagesh Mathur
नामांकन करने वाले की जानकारी

जग्नुप्रकाश नाथ

प्रख्या॑प 21 ख

(निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 11 (1) देखिए)

(आकर्षित रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान निर्विरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा के रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप नियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उप धारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री जय प्रकाश,

मकान नं०-६०, (पो० न्यू शिवपुरी कालोनी) मो० मिर्जापुर थाना रामगढ़ ताल, गोरखपुर-२७३२०९ जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किये गये हैं,

उस सदन में श्री बेनी प्रसाद वर्मा की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्पूर्ण रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान: विधान भवन, लखनऊ।

दिनांक: 17 अगस्त, 2020.



(वृज भूषण दुबे)

रिटर्निंग ऑफिसर

एवं

विशेष सचिव, विधान सभा।

संख्या: 961/वि०स०/प०का०/४२(प)/२०२०

दिनांक 17 अगस्त, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली (फैक्स सं० ०११-२३०५ २५२५),
2. सचिव, भारत सरकार, विधि, न्याय एवं कम्पनी सम्बन्धी मंत्रालय(विधायी विभाग), नई दिल्ली (फैक्स सं० ०११-२३३८ ४०५४),
3. महासचिव, राज्य सभा सचिवालय(कमरा नं० ३३, टेबुल ऑफिस), संसद भवन, नई दिल्ली (फैक्स सं० ०११-२३७९ २९४०),
4. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
5. निर्वाचित अभ्यर्थी,
6. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ,
7. निदेशक(समाचार), दूरदर्शन, लखनऊ,
8. महानिदेशक, आकाशवाणी, नई दिल्ली

को इस निवेदन के साथ कि उक्त सूचना को तुरन्त अगले समाचारों में प्रसारित करने की कृपा करें।

(वृज भूषण दुबे)

रिटर्निंग ऑफिसर

एवं

विशेष सचिव विधान सभा।

FORM 21 B

[See rule 11(1) of the Conduct of Elections Rules, 1961]
(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is uncontested)

Declaration of the result of Election under sub-section (2) of section 53 of the Representation of People Act, 1951.

Bye-election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh to fill the vacancy of **Shri Beni Prasad Verma**.

In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of the rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Sri Jay Prakash,
House No.- 60, (PO. New Shivpuri Colony) Mo. Mirjapur, Thana Ramgadh Tal, Gorakhpur-273209 sponsored by Bhartiya Janata Party,

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of **Shri Beni Prasad Verma**.



Place: Vidhan Bhawan, Lucknow.
Dated: August 17, 2020.

(Brij Bhushan Dubey)
Returning Officer
And
Special Secretary,
Legislative Assembly,
Uttar Pradesh




निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा श्री बेनी प्रसाद वर्मा के रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु राज्य सभा के लिये उप-निर्वाचन

| क्रम संख्या | अभ्यर्थी का नाम | अभ्यर्थी का पता | दल संहिता |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |


मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी

1. जय प्रकाश, श्री



म.न.-60, (पो० न्यू भारतीय
शिवपुरी कालोनी) जनता पार्ट
मो. मिजपुर थाना
रामगढ़ताल,
गोरखपुर-273209

✓/89
(बृज भूषण दुबे)
रिटर्निंग ऑफिसर,
एवं
विशेष सचिव, विधान सभा।



विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश (पटल कार्यालय)

संख्या: 960 / वि०स० / प०का० / 42(प) / 2020

दिनांक 17 अगस्त, 2020

- प्रतिलिपि पांच अंग्रेजी प्रति सहित, प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित (फैक्स संख्या 011- 2305 2525).
- प्रतिलिपि एक अंग्रेजी प्रति सहित गुरुव्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, को सूचनार्थ एवं सरकारी गजट में तुरन्त प्रकाशनार्थ प्रेषित,
- प्रतिलिपि एक अंग्रेजी प्रति सहित, उपर्युक्त निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को प्रेषित।

✓/89
(बृज भूषण दुबे)

FORM 7 B

[See Rule 10(1) Of The Conduct Of Elections Rules, 1961]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Bye-Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh to fill the vacancy of **Shri Beni Prasad Verma**

| Sl. No. | Name of candidate | Address of candidate | Party Affiliati |
|------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Candidates Of Recognised National And State Political Parties

1. **Jay Prakash, Sri.**



House No.- 60 (PO.
New Shivpuri Colony)
Mo. Mirjapur, Thana
Ramgadh Tal,
Gorakhpur - 273209

Bhartiya
Janata
Party

Place: Vidhan Bhawan, Lucknow.
Dated: August 17, 2020.



(BRIJ BHUSHAN DUBEY)
RETURNING OFFICER
AND
SPECIAL SECRETARY
LEGISLATIVE ASSEMBLY
UTTAR PRADESH

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी ,उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001

प्रेस- नोट

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के लिये निर्वाचित सदस्य श्री बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान की पूर्ति हेतु उप निर्वाचन कराये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम नियत किया गया है:-

| | | | |
|----|--|--|---------------------------|
| 1- | नाम निर्देशन की अधिसूचना का दिनांक | 06 अगस्त, 2020 | (वृहस्पतिवार) |
| 2- | नाम निर्देशन हेतु अन्तिम दिनांक | 13 अगस्त, 2020 | (वृहस्पतिवार) |
| 3- | नाम निर्देशन की जाँच हेतु दिनांक | 14 अगस्त, 2020 | (शुक्रवार) |
| 4- | नाम वापसी हेतु अन्तिम दिनांक | 17 अगस्त, 2020 | (सोमवार) |
| 5- | मतदान का दिनांक | 24 अगस्त, 2020 | (सोमवार) |
| 6- | मतदान का समय | 9.00 बजे पूर्वाहन से 4.00 बजे अपराह्न तक | |
| 7- | मतगणना का दिनांक | 24 अगस्त, 2020 | (सोमवार) सायं 5.00 बजे से |
| 8- | वह दिनांक जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जायेगा | 26 अगस्त, 2020 | (बुधवार) |

स्थान : लखनऊ
दिनांक 30.07.2020

अजय कुमार शुक्ला
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या-470 / सी0ई0ओ0-2- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष/ महामंत्री समस्त मान्यता राजनैतिक दल, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
- 3- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0शासन।
- 4- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, विधान भवन, लखनऊ।
- 6- प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 7- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 8- समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।
- 9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को 25 अतिरिक्त प्रतियों सहित इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रेस नोट को समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करे।
- 10- निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ को प्रसारणार्थ प्रेषित।
- 11- निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ को प्रसारणार्थ प्रेषित।

30.07.2020
(रमेश चन्द्र राय)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।